न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या 158/2017/75 एलआर एक्ट

सजना पुत्री प्रभुराम पत्नि स्व. किसनाराम जाति भाट निवासी सम्पतनगर ( चक 6 केकेडब्ल्यू) तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

**–: बनाम :–**

1. मुखराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. प्रेम गोदारा पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. भीमसैन पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सुभाष पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी रोड़ावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. गीतादेवी पत्नि स्व. नत्थुराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. इन्द्राज पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. गोपीराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. महावीर पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. कालूराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
10. हरीराम पुत्र बख्ताराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर चक 6 केकेडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
11. लाधुराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
12. भागीरथ पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी नहरी कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन।
13. मनीराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
14. दौलतराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15. कमला पत्नि स्व. रामलाल जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
16. करण पुत्र स्व. रामलाल जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़ नाबालिग जरिये कुदरती वली माता कमला पत्नि स्व. रामलाल जाति जाट निवासी सम्पतनगर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
17. तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

—— रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़
प्र0सं0 126/2017 अनवानी मुखराम आदि बनाम गीतादेवी आदि

उपस्थित :—

श्री राकेश दर्गन अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री प्रद्युम्न सिंह परमार अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 17

निर्णय दिनांक —13.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण चक 5 केकेडब्ल्यू व 6 केकेडब्ल्यू के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी भूमि चक 5 केकेडब्ल्यू व 6 केकेडब्ल्यू मे जाने हेतु अबोहर हनुमानगढ़ मुख्य मार्ग से चक 6 केकेडब्ल्यू की सड़क पर से अप्रार्थीगण की भूमि चक 6 केकेडब्ल्यू के खाता सं. 30/20 प.न. 122/211 के कि. न. 1, 10, 11, 20, 21 से होकर जाते है एवं यह भी कथन किया कि उक्त रास्ता को अर्सा पूर्व से उपयोग व उपभोग मे ला रहे है। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने हेतु कहा तो वे इन्कार हो गये और दिनांक 07.6.2007 को उक्त रास्ता को बन्द कर दिया। तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को प्रार्थना पत्र 251 आरटीए का प्रस्तुत किया जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मौका देखकर रास्ता खुलवाया गया। रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अपने प्रार्थना पत्र यह भी अंकित किया कि प्रार्थीगण को अपनी भूमि मे जाने हेतु कोई रास्ता नही है। अप्रार्थीगण मौका पर चालू रास्ता को बन्द कर उसे काश्त करने की

धमकी दे रहे है। इसलिये चक 6 केकेडब्ल्यू प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावें। अपीलांटा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए सही स्थिति बाबत कथन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान कोलो. एक्ट 1955 की शर्त 8(2) का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया गया कि कदीमी रूप से चालू उक्त रास्तो को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें। जहां तक रेस्पो0 सं. 1 ता 4 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान कोलो. एक्ट निरस्त किये जाने का प्रश्न है, अपीलांटा इससे सहमत है। परन्तु जहां तक राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव भिजवाने का आदेश तहसीलदार को देने का प्रश्न है, अपीलांटा इससे पीड़ित है और मात्र इसी हद तक व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 का प्रार्थना पत्र धारा 8(2) राज0 कोलो0 एक्ट के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने बाबत प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को अपना निर्णय मात्र इसी परीप्रेक्ष मे ही देना चाहिए था। रेस्पो0 ने इसी हेतु अनुतोष की मांग की थी। इससे अधिक उन्होने अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकार की कोई मांग नही की थी। इसलिये बिना अनुतोष मांगे ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं. 1 ता 4 को नाजायज लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से रास्ता स्वीकृत करने बाबत तहसीलदार से प्रस्ताव की मांग की है। जबकि ऐसे अनुतोष के लिए रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया और ना ही जबानी निवेदन किया तथा ना ही तहसीलदार ने ऐसे किसी आदेश की मांग की। बल्कि इस बाबत जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है वह धारा 251 की हद तक ही कानूनन मान्य हो सकता है जिसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अन्तर्गत कदीमी चालू रास्ता जिसे बन्द कर दिया गया है, को चालू करवाने हेतु सर्वप्रथम ग्राम पंचायत को आवेदन किया जायेगा, जिसका निर्णय ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिवस मे नही करने पर तहसीलदार रिकार्ड मंगवा कर निर्णय कर सकेगा। जो धारा 251 (4) के नोटिफिकेशन एफ 5(21)रेव/जीआर4/80/34 दिनांक 04.09.82 से स्पष्ट है। धारा 251 आरटीए के अन्तर्गत रेस्पो0 सं0 1 ता 4 को यदि कदीमी रास्ता को चचालू

कर स्वीकृत करवाने का प्रश्न है, यह रेस्पो0 का सुखाधिकार हो सकता है। जिसके लिए ना तो अधीनस्थ न्यायालय को और ना ही तहसीलदार अथवा ग्राम पंचायत को कोई अधिकारिता है, ऐसे अनुतोष के लिए रेस्पो0 को दीवानी न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह माना है कि जांच रिपोर्ट दिनांक 20.10.2016 एवं 05.05.2017 के अनुसार रास्ता चालू है तथा रास्ता का उपयोग व उपभोग आमजन द्वारा किया जा रहा है, कतई गलत व विधि विरूद्ध है। दोनो ही जांच रिपोर्ट के समय ना तो अपीलांटा को कोई सूचना दी गई और ना ही मौका पर कोई अधिकारी अथवा पटवारी हल्का आदि गये, मात्र रेस्पो0 के प्रभाव मे आकर कार्यालय मे बैठ कर जांच रिपोर्ट तैयार कर ली गई जबकि इससे पूर्व दिनांक 05.05.2017 की जांच रिपोर्ट से पूर्व अपीलांटा ने यह निवेदन भी कर दिया था कि जांच रिपोर्ट के समय अपीलांटा को सूचित किया जावे ताकि उसकी उपस्थिति मे सही व वास्तविक जांच रिपोर्ट तैयार हो सके। परन्तु अपीलांटा को जांच रिपोर्ट से पूर्व कोई सूचना नही दी गई। मौका पर कोई रास्ता ना तो चालू था और ना ही आज है।

4. अपीलांटा की भूमि मात्र 3 बीघा 7 बिस्वा है। जिसमे कि.न. 21, 22 मे 2–2 बिस्वा नही खाला भी स्वीकृत है। अपीलांटा लघु काश्तकार है। प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किये जाने के उपरांत अपीलांटा की भूमि और भी कम हो जावेगी। रेस्पो0 सं. 1 ता 4 को प्रश्नगत रास्ता की ना तो कभी आवश्यकता थी ना ही है। वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलांटा को यह भूमि अपने पिता प्रभुराम से विरासतन प्राप्त हुई थी। अपीलांटा की शेष बहनो ने अपने अपने हिस्से की भूमि का बैचान नत्थुराम के वारिसान जो रेस्पो0 सं. 5 ता 10 है, को बैचान कर दी। अब सभी रेस्पो0 एक राय होकर अपीलांटा को नाजायज हैरान परेशान करने के लिए अपीलांटा की उक्त भूमि कि.न. 21 मे रास्ता चालू करने पर अमादा है। जबकि रेस्पो0 को अपने खेत मे आवागमन हेतु रास्ते उपलब्ध है, वही से वे आवागमन कर रहे है। रेस्पो0 सं. 1 के पिता मनीराम के नाम अंकित भूमि चक 5 केकेडब्ल्यू प.न. 120/210 कि.न. 1, 2, 3, 4, 5 व प.न. 121/210 कि.न. 1, 2 है0 इस भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता स्वीकृत था। परन्तु रेस्रपो0 सं. 1 के पिता ने उक्त भूमि जो सैटलमेंट विभाग द्वारा स्वीकृत किया गया था, को निरस्त करवाने हेतु एक वाद अनवानी मनीराम वादी बनाम स्टेट वाद संख्या 16/2000 दायर किया गया था। इस वाद मे जानबूझ कर मनीराम ने अन्य पीड़ित काश्तकारो को पक्षकार नही बनाया एवं गुपचुप तरीके से अपने वाद का निर्णय

दिनांक 05.09.05 को करवा लिया। जब इस निर्णय से पीड़ित काश्तकारान को मालूम हुआ तो उन्होने इसकी अपील अदालत हाजा मे अपील सं. 121/2005 सहीराम आदि बनाम मनीराम आदि दायर कर स्थनग आदेश प्राप्त कर लिया। अपील अदालत हाजा मे लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की कोई जांच किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपने निर्णय मे राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 का संबंध है, भी अपीलांटा के प्रकरण पर लागू नही होते और ना ही बिना किसी के आवेदन करने पर अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने की कोई शक्तियां हासिल है। राज्य सरकार द्वारा अपने निर्दे परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के पृष्ठ सं. 3 मे समस्या सं. 3'' काश्तकार द्वारा अपने खेत पर जाने हेतु दूसरे काश्तकार की खातेदारी भूमि से नया रास्ता चाहना'' इसका समाधान'' इस संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 ए अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु समक्ष है।'' जिस हेतु अधीनस्थ न्यायालय अपना निर्णय पारित कर चुकी है एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.05.17 के जिस भाग के लिये अपील प्रस्तुत की जा रही है, उसकी अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नही है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही हुआ है। अतः अपील अपीलांटा स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश इस हद तक निरस्त किया जावे कि ''तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कदीमी रूप से चालू उक्त रास्तो को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें'' अन्य अनुतोष जो अपीलांटा के पक्ष मे हो प्रदान किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण चक 5 केकेडब्ल्यू व 6 केकेडब्ल्यू के खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण अपनी भूमि चक 5 केकेडब्ल्यू व 6 केकेडब्ल्यू मे जाने हेतु अबोहर हनुमानगढ़ मुख्य मार्ग से चक 6 केकेडब्ल्यू की सड़क पर से अप्रार्थीगण की भूमि चक 6 केकेडब्ल्यू के खाता सं. 30/20 प.न. 122/211 के कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 से होकर जाते है एवं यह भी कथन किया कि उक्त रास्ता को अर्सा पूर्व से उपयोग व उपभोग मे ला रहे है। जब प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज

करवाने हेतु कहा तो वे इन्कार हो गये और दिनांक 07.6.2007 को उक्त रास्ता को बन्द कर दिया। तब प्रार्थीगण ने तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ को प्रार्थना पत्र 251 आरटीए का प्रस्तुत किया जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा मौका देखकर रास्ता खुलवाया गया। इसलिये चक 6 केकेडब्ल्यू प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अपीलांटा ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया और प्रकरण मे तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका स्थिति की रिपोर्ट बिन्दूवार चाही गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक 4704 दिनांक 21.11.16 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता है, मांगे गये रास्तो के प.न. 122/211 (8) कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे किसी प्रकार का खाला, किमतन पेड़, मकान व अन्य कोई आधारभूत ढांचा नही है। चक 5 केकेडब्ल्यू के प.न. 121/210 मु.न. 37 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है व चक 6 केकेडब्ल्यू के प.न. 121/212 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है। चक 6 केकेडब्ल्यू के प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व प.न. 121/211 कि.न. 5, 6, 15, 16, 21 मे रास्ता रिकार्ड मे मंजूर नही है। प्रत्यर्थी सं. 1 ता 4 द्वारा चक 6 केकेडब्ल्यू के प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता की मांग की गई है जो कि वर्तमान मे चालू है। दिनांक 12.04.17 को प्रत्यर्थी सं. 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि उक्त चालू रास्ता मे बाधा कारित की गई है जिस पर पत्रावली को पेशी मे ली जाकर अपीलांटा व अन्य को पाबंद किया जावे, जिस पर दिनांक 13.04.17 को अपीलांटा ने भी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनते हुए तहसीलदार हनुमानगढ़ से पुनः मौका जांच कर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया, जिस पर दिनांक 05.05.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए यह कथन किये कि मौके के अनुसार चक 6 केकेडब्ल्यू मे प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे रास्ता रिकार्ड मे दर्ज नही है परन्तु बहुत पुराने समय से चल रहा है, उक्त रास्ता रिकार्ड प्रस्तुत करने से पूर्व अवरूद्ध कर दिया गया और उनके द्वारा प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे प्रत्येक मे 0.025 है0 भूमि रास्ता दर्ज करने की अनुशंषा की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया गया कि कदीमी रूप से चालू उक्त रास्ता को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हनुमानगढ़ को

पालनार्थ भेजी गई। उससे पूर्व ही अपीलांटा द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अविधिक रूप से बिना किसी अधिकारिता के व बिना किसी विधिक स्थिति के अपील प्रस्तुत की गई है, जो कि सारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दोनो पक्षो को सुनकर मौका की रिपोर्ट मंगवाकर पारित किया था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। अपीलांटा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर एक अन्य वाद मे निर्णय होने के संबंध मे दस्तावेज प्रस्तुत किये है, जिनका उक्त प्रकरण से कोई संबंध नही है, इस कारण अपीलांटा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति मे काश्तकारो की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए रास्ता स्वीकृत किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उक्त प्रकरण मे तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ द्वारा जो रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उनमे भी यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त चाहा गया रास्ता मौका पर चालू रहा है, व काश्तकारो द्वारा उक्त चालू रास्ता का उपयोग उपभोग किया जाता रहा है, इस कारण काश्तकारो की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांटा की अपील विधि के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश बहाल रखे जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, इस कारण अपीलांटा की अपील निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांटा मय खर्चा खारिज की जावें व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विधि सम्मत निर्णय यथावत रखा जावें।

6. उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 सं. 1 ता 4 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन नियम 1955 की शर्त 8(2) के तहत प्रस्तुत करते हुए चक 6 केकेडब्ल्यू प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन नियम 1955 की शर्त 8(2) इस आधार पर खारिज किया गया कि '' अप्रार्थीगण की भूमि आवंटित नही होकर

पुरानी मौरूसी खातेदारी की है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र के तहत प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृति की रिलिफ प्रदान नही की जा सकती है तथा तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया गया कि कदीमी रूप से चालू उक्त रास्ता को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव न्यायालय को प्रेषित करें।'' अपीलांटा द्वारा मात्र इसी निर्देश जो तहसीलदार को प्रस्ताव भिजवाये जाने बाबत दिया गया है, से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

7. प्रकरण मे यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन नियम 1955 की शर्त 8(2) के तहत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण की भूमि चक 6 केकेडब्ल्यू प.न. 122/211 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा गया है, उक्त भूमि अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि ना होकर पुरानी मौरूसी खातेदारी भूमि है जिस पर राजस्थान उपनिवेशन नियम 1955 की शर्त 8(2) के प्रावधान लागू नही होते है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन नियम 1955 की शर्त 8(2) के तहत प्रार्थीगण को रास्ता स्वीकृति की इस्तदुआ प्राप्त नही कर सकते है। जहां तक अधीनस्थ न्यायालय का कदीमी रूप से चालू उक्त रास्ता को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव भिजवाये जाने का प्रश्न है, तो अपील के दौरान रास्ता के संबंध मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर मौका कमीश्नर रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ''प.न. 122/211 मु.न. 8 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे फसल कणक (गेहूं) काश्त है एवं कि.न. 21 मे सजना द्वारा तारबंदी की हुई है मौका निरीक्षण से रास्ता चलने के कोई अलामात नही पाये गये है।'' राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार पक्षकार को इस निमित नियम 58(3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31 की प्रति सम्मन द्वारा दी जायेगी। इस रिपोर्ट पर निरीक्षण कर गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षर किये जायेगें। निरीक्षण भू–अभिलेख नियम के मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा। तहसीलदार द्वारा रास्ते संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत रिपोर्ट के अनुसार रास्ते अंकन निर्धारित मानदण्डो के अनुसार किया जाना उचित होने के पश्चात रास्ते के अंकन हेतु प्रस्ताव मय प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जो उस पर आदेश देगें।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना निरीक्षण रिपोर्ट गिरदावर एवं तहसीलदार सीधे की प्रस्ताव मंगवाये हेतु निर्देश किया गया जो राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के वर्णित प्रावधानो के अनुसार विधिपूर्ण नही होने के कारण पुष्टि योग्य नही है। फिर भी अगर चक 6 केकेडब्ल्यू के प.न. 122/211 मु.न. 8 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे कदीमी रास्ता अर्सा पूर्व से चला आ रहा है और मौका पर बन्द कर दिया गया है तो प्रश्नगत रास्ता के आगे पीछे रास्ता चलने संबंधी मौका जांच करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानो के अनुसार गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा रास्ते से प्रभावित काश्तकारान को सूचित करते हुए काश्तकारान उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने के उपरांत रास्ता अंकन किया जाना उचित प्रतीत होने पर प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड अधिकारी न्यायालय प्रस्तुत करे तथा उपखण्ड अधिकारी उक्त प्रस्ताव के संबंध मे सत्यता की संतुष्टि करने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें तथा रेस्पो0 सं. 1 ता 4 रास्ता के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 को, आदेश मे अंकित ''तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कदीमी

रूप से चालू उक्त रास्तो को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें, की हद तक निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।'' ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटा स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 को, आदेश मे अंकित ''तहसीलदार हनुमानगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि कदीमी रूप से चालू उक्त रास्तो को राज्य सरकार के निर्देश दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण मे स्वीकृत करने बाबत प्रस्ताव इस न्यायालय को प्रेषित करें, की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.05.2017 यथावत रखा जाता है तथा यह निर्देश भी दिया जाता है कि अगर चक 6 केकेडब्ल्यू के प.न. 122/211 मु.न. 8 कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 मे कदीमी रास्ता अर्सा पूर्व से चला आ रहा है और मौका पर बन्द कर दिया गया है तो प्रश्नगत रास्ता के आगे पीछे रास्ता चलने संबंधी मौका जांच करते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के प्रावधानो के अनुसार गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा रास्ते से प्रभावित काश्तकारान को सूचित करते हुए काश्तकारान उपस्थिति मे मौका निरीक्षण करने के उपरांत रास्ता अंकन किया जाना उचित प्रतीत होने पर प्रस्ताव संबंधित उपखण्ड अधिकारी न्यायालय प्रस्तुत करे तथा उपखण्ड अधिकारी उक्त प्रस्ताव के संबंध मे सत्यता की संतुष्टि करने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। रेस्पो0 सं. 1 ता 4 रास्ता के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official